अध्याय तीन

लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गए लेन देन की नमूना जाँच से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड

3.1 अपर्याप्त बीमा के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी के द्वारा पट्टा समझौते में प्रत्येक सम्पत्ति का अलग-अलग मूल्यांकन ना दर्शाये जाने के कारण् अपर्याप्त बीमा हुआ नतीजतन कम्पनी को ₹ 74.67 लाख का नुकसान हुआ ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड (कम्पनी) ने होशंगाबाद जिले के पिपरिया में खाद्य प्रसंस्करण पार्क चालू किया (फरवरी 2007) । इसमें ₹ 2.93 करोड़ की लागत का भवन, कोल्ड स्टोरेज संयंत्र एवं बर्फ संयंत्र शामिल था । संयंत्र का भवन, कोल्ड स्टोरेज एवम् बर्फ संयंत्र मैसर्स बिग इण्डिया फार्म लिमिटेड (फर्म) को वार्षिक पट्टा किराया ₹ 10.50 लाख पर पट्टे पर दिया (9 अक्टूबर 2007) । पट्टा अनुबंध के अनुसार, फर्म को स्वयं के व्यय पर भवन एवम् दोनों संयंत्रों-कोल्ड स्टोरेज तथा बर्फ संयंत्र का कम्पनी एवम् फर्म के संयुक्त नाम पर बीमा कराया जाना था । पर कम्पनी द्वारा लीज अनुबंध में भवन (₹ 1.75 करोड़), कोल्ड स्टोरेज संयंत्र (₹ 92.21 लाख) एवम् बर्फ संयंत्र (₹ 26.37 लाख) का अलग-अलग मूल्य नहीं दर्शाया गया । अतः फर्म ने अक्टूबर 2007 में निजी मूल्य निर्धारक से मूल्य निर्धारण आधार पर न्यू इण्डिया इन्सयोरंस कम्पनी से भवन का ₹ 1.10 करोड़ का एवम् संयंत्र मशीनरी का ₹ 1.10 करोड़ का बीमा कराया जो 31 अक्टूबर 2007 से प्रभावी था ।

26 जनवरी, 2008 को एक अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें कि भवन तथा कोल्ड स्टोरेज संयंत्र एवम् बर्फ संयंत्र को अपार क्षति हुई । चूँकि भवन तथा संयंत्र एवम् मशीनरी प्रत्येक ₹ 1.10 करोड़ रूपये से बीमित थे इसीलिये सर्वेक्षक ने भवन का बीमा 53.84[33] प्रतिशत से कम होना तय किया । अंत में भवन एवम् संयंत्रों (कोल्ड स्टोरेज एवम् बर्फ संयंत्र) में क्रमशः ₹ 1.78 करोड़ एवम् ₹ 12.97 लाख की हानि का अनुमान दिया । कबाड़ मूल्य, अपर्याप्त बीमा, शोर्ट सर्किट केबल की कीमत एवं पॉलिसी सम्बन्धी अन्य प्रकार की राशि को घटाने के उपरांत, सर्वेक्षक ने शुद्ध हानि ₹ 76.22 लाख बताई और बीमा कम्पनी द्वारा (अप्रैल, 2009) उसका भुगतान कर मामले का निपटारा कर दिया गया ।

[33] (₹ 238.19 लाख - ₹ 110 लाख)/₹ 238.19 लाख = 53.84 प्रतिशत

हमने लेखापरीक्षा में पाया (जुलाई 2010) कि कम्पनी की तरफ से भवन, कोल्ड स्टोरेज संयंत्र एवम् बर्फ संयंत्र प्रत्येक का मूल्य पट्टे में अलग-अलग न दर्शाने के कारण पट्टाधारी की तरफ से अपर्याप्त बीमा हुआ और नतीजतन ₹ 74.67 लाख का परिहार्य नुकसान हुआ । आगे यह भी पाया गया कि फर्म ने कम्पनी के साथ संयुक्त नाम पर कराने के बजाय बीमा स्वयं के नाम पर कराया था । अतः कम्पनी ने न केवल भवन एवम् प्रत्येक संयंत्र का मूल्य पृथक रूप से नहीं दर्शाया बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी असफल रही कि बीमा कम्पनी के नाम संयुक्त रूप से लिया गया एवं उसे लाभार्थी बनाया गया अथवा नहीं ।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2010/सितम्बर 2011) कि बीमा कम्पनी के निपटारे निर्णय का विरोध किया गया है एवम् उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) के समक्ष अपील लम्बित है । तथापि हमने यह पाया कि आयोग ने अपील को खारिज कर दिया (अक्टूबर 2010) एवम् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बीमा कम्पनी के नाम पर नहीं था, अतः कम्पनी का दावा नहीं बनता है । (फरवरी 2011)

यदि कम्पनी ने भवन, कोल्ड स्टोरेज प्लांट एवम् बर्फ संयंत्र प्रत्येक की उचित कीमत दर्शाई होती एवम् बीमा को कम्पनी एवम् पट्टाधारी फर्म के संयुक्त नाम से लिया होता तो अपर्याप्त बीमा से हुई हानि ₹ 74.67 लाख को भी बचाया जा सकता था ।

प्रकरण को सरकार की ओर मई 2011 में प्रेषित किया गया है ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड

3.2 राजस्व की हानि

भूखण्ड के अन्तरण की दिनांक को प्रचलित नियमों के अनुसार भूमि अधिशुल्क का 100 प्रतिशत अन्तरण शुल्क के रूप में प्रभारित न करने के कारण ₹ 4.12 करोड़ की हानि हुई ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड (कम्पनी) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी है और वह अपने अधीन क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास लिए जिम्मेदार है । कम्पनी के गठन (1981) के समय राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कम्पनी राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित दरों पर औद्योगिक उद्देश्य के लिए भू-खण्ड के आबंटन तथा भूमि अधिशुल्क, पट्टा किराया इत्यादि भारित करने के लिए अधिकारित है । मध्यप्रदेश औद्योगिक (शेड, भूखण्ड एवम् भूमि) आबंटन नियम, 1974 के अनुसार दो पक्षों के बीच शेड एवं भूखण्ड का हस्तांतरण अन्तरण शुल्क के भुगतान के पश्चात् किया जा सकता है, अन्तरण शुल्क, अधिशुल्क पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निश्चित प्रतिशत के आधार पर होगा । इस नियम में बदलाव करते हुए (अप्रैल 1999) हस्तांतरण शुल्क को बढ़ाकर अधिशुल्क का 100 प्रतिशत कर दिया गया ।

रामपुर में सीमेन्ट प्लान्ट को स्थापित करने के लिए, कम्पनी ने (जून 1986) मेसर्स जे.के. सिंथेटिक्स (फर्म) को 103.1 हेक्टेयर भूखण्ड ₹ 4.39 लाख के अधिशुल्क एवम् ₹ 100 प्रति हेक्टेयर के वार्षिक पट्टा किराया के आधार पट्टा कर दिया । यद्यपि फर्म ने 1986 से

2006 तक वार्षिक पट्टे किराया का भुगतान नियमित रूप से किया और प्रार्थना की (अप्रैल 2006) कि सम्बन्धित भूखण्ड मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स को हस्तांतरित कर दिया जावे ।

हमने लेखापरीक्षा में पाया (नवम्बर 2010) कि राज्य सरकार के आदेश (अप्रैल 1999) को संज्ञान में ना लेते हुए, कम्पनी ने वह भूखण्ड मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स को प्रचलित भू-अधिशुल्क ₹ 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 प्रतिशत की रियायती दरों पर हस्तांतरण की सहमति दे दी । इसके लिए जय प्रकाश एसोसिएट्स के साथ लीज अनुबंध 17 जुलाई, 2006 को सम्पादित किया गया ।

हमने पाया कि कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए रियायती दरों पर जय प्रकाश एसोसिएट्स को भू-अन्तरण के कारण न सिर्फ ₹ 4.12 करोड़[34] की हानि हुई बल्कि एक निजी पक्ष को अनुचित लाभ भी पहुंचा ।

कम्पनी ने अपने जवाब में बताया (सितम्बर 2011) कि कोई भी अन्य औद्योगिक इकाई भू-खण्ड को लेने के लिए तैयार नहीं थी । यह भी बताया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा भू-अंतरण (जुलाई 2006) मध्यप्रदेश शेड अलोटमेंट नियम, 1974 को ध्यान में रखते हुये किया गया एवम् यह भी शामिल किया कि कम्पनी का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं है ।

कम्पनी को जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी को मध्यप्रदेश सरकार के संशोधित आदेश (1 अप्रैल 1999) के अनुसार शत् प्रतिशत भूमि अधिशुल्क प्रभारित करना चाहिए था और भूमि अधिशुल्क प्राप्त करने योग्य राशि ₹ 5.15 करोड़ (103.1 हेक्टेयर × ₹ 5 लाख प्रति हेक्टेयर) के विरूद्ध सिर्फ ₹ 1.03 करोड़ प्राप्त हुआ तथा शेष ₹ 4.12 करोड़ का नुकसान हो गया ।

सरकार को प्रकरण के सम्बन्ध में सूचित किया गया (5 मई 2011); उनके उत्तर प्रतीक्षित है ।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

3.3 अतिरिक्त व्यय

कम्पनी द्वारा अनुबन्ध के कीमत में गिरावट संबंधी उपबंध को लागू न करने के कारण एल्युमिनियम फैरिक की उपार्जन दर को ना घटाने से राजकोष से ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) आरक्षित मदों[35] के लिए में रेट अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए एक राज्य सरकार की एजेंसी है । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित मदों के उपयोग हेतु माँग पत्र कम्पनी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और कम्पनी द्वारा किए गए दर अनुबंधों के आधार पर उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करती है । दर

34 *103.10 हेक्टेयर × ₹ 4 लाख [प्रचलित भूखण्ड प्रब्याजी ₹ 5 लाख (-) रियायती दर ₹ 1 लाख] = ₹ 4.12 करोड़*

35 *स्टोर क्रय निगम 1995 (एस.पी.आर.) में मध्यप्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित 149 मदों को आरक्षित रखा गया है एवं इन मदों में खरीदी कम्पनी के माध्यम से किया जाना होता है ।*

अनुबंध एक वर्ष के लिए वैध होते हैं एवम् इस आधार पर विभागों को की गई आपूर्ति पर कम्पनी को दो प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है । विभागों को आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने हेतु अंतिम रूप दिया हुआ दर प्रसारित कर दी जाती है ।

एल्युमिनियम फैरिक की दरें ₹ 3,092 प्रतिटन निर्धारित की गई जो 16 अगस्त, 2007 से प्रभावी थी । हालांकि रेट अनुबंध की समयावधि के दौरान, दरों को 29 नवम्बर, 2007 से पुनरीक्षित कर ₹ 4,500 प्रतिटन एवं पुनः 11 फरवरी, 2008 से पुनरीक्षित कर ₹ 5,000 प्रतिटन कर दी गई थी जो कि 15 अगस्त, 2008 तक वैध थी । बाद में नई दरें ₹ 8,404 प्रतिटन के हिसाब से सुनिश्चित की गई जो 25 अगस्त, 2008 से एक वर्ष के लिए प्रभावी थी । यद्यपि उद्धत दरें पूर्व निविदा की तुलना में कहीं ज्यादा थी फिर भी कम्पनी ने कच्चे माल की प्रचलित दरों के ध्यान में रखते हुये जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एवं बाक्साइड मंजूरी (₹ 8,404) दे दी ।

हमने लेखापरीक्षा में पाया (अगस्त 2010) कि कम्पनी, महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान (DGS&D) से एल्युमिनियम फैरिक की प्रचालित दरों का अनुमान लेने में असफल रही जिसने कि अगस्त, 2008 में ₹ 4,080 प्रति टन के हिसाब से दर निर्धारित की थी । हमने यह भी पाया कि यह तथ्य कम्पनी की जानकारी में था कि चीन ने कच्चे माल के एक घटक-सल्फ्यूरिक एसिड का निर्यात ओलम्पिक खेलों के कारण (जो कि एक अल्पकालिक घटना थी) प्रतिबंधित कर दिया था, कम्पनी सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष के साथ बोली दर ₹ 8,404 प्रति दर में कमी हेतु समझौता वार्ता में और अनुबंध दरों को अल्प अवधि के लिए चुनने में भी असफल रही । इसके अतिरिक्त निविदा दस्तावेज का " कीमत में गिरावट उपबन्ध " स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि बोली लगाने वाले पक्ष की प्रभारित दरें अनुबंध की अवधि में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य पक्ष/राज्य सरकार/डी.जी.एस. एण्ड डी/सार्वजनिक उपक्रम को प्रस्तावित दरों से अधिक नहीं होगी । कथित उपबन्ध में यह भी प्रावधान था कि यदि बोली लगाने वाला पक्ष किसी अन्य पक्ष/राज्य सरकार/डी.जी.एस. एण्ड डी./सार्वजनिक उपक्रम को कम कीमत प्रस्तावित करता है तो वह कम कीमत इस अनुबंध पर भी लागू होगी । हमने पाया कि यद्यपि डी.जी.एस. एण्ड डी. ने एल्युमीनियम फैरिक के लिए फरवरी 2009 में दर रू. 4,368 प्रति टन निर्धारित की थी, पर कम्पनी ने " कीमत में गिरावट " उपबन्ध को लागू कर कीमत को पुनरीक्षित कर मार्च 2009 से लागू करने में असफल रही ।

कम्पनी कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के आधार पर उपबन्ध के अनुसार पिछली अनुबंध दरों में कीमतों को ₹ 3,092 से बढ़ाकर ₹ 4,500 और फिर बढ़ाकर ₹ 5,000 (नवम्बर 2007 से फरवरी 2008) किया परन्तु जब कच्चे माल की कीमतों में गिरावट सूचित हुई तब कम्पनी इस उपबन्ध को लागू कर कीमतें कम नहीं कराई । इस प्रकार, " कीमत में गिरावट उपबन्ध " को लागू करते हुए एल्यूमीनियम फैरिक की दरें मार्च 2009 में ₹ 8,404 से घटाकर ₹ 4,368 प्रति टन करने में असफल रहने के कारण राजकोष से ₹ 9.53 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

कम्पनी ने अपने उत्तर (26 मार्च 2011) में कहा कि- दर निर्धारण के समय सल्फर की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी (अगस्त 2008) । कम्पनी ने " कीमत में गिरावट उपबन्ध " की उपलब्धता पर भी स्वीकृति जताई । उपबन्ध को लागू न करने क मुद्दे पर कम्पनी शान्त रही ।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा उपबन्ध 33.1 को लागू ना करने के कारण एल्युमीनियम फैरिक की दरें मार्च 2009 से ₹ 4,368 प्रति टन न करने के कारण ₹ 1.53 करोड़ का परिहार्य व्यय रजकोष से वहन करना पड़ा ।

कम्पनी को भविष्य में राजकोष को अतिरिक्त व्यय भार से बचाने के लिए " कीमत में गिरावट उपबन्ध" को शामिल करना चाहिए ।

यह प्रकरण सरकार को मई 2011 में प्रेषित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित है ।

एस.ई.जेड. (इन्दौर) लिमिटेड एवम् मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4 ब्याज का अनावश्यक भुगतान

आयकर विवरणी ना भरे जाने एवम् अग्रिम आयकर कम जमा किए जाने के कारण ₹ 99.25 लाख (एस.ई.जेड.) एवम् ₹ 37.85 लाख (एम.पी.पी.एच.सी.लि.) ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवम् 140क के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को वित्तीय वर्ष के अन्त में, अग्रिम आयकर भुगतान एवं स्त्रोत पर आयकर कटौती उपरान्त स्व-मूल्यांकन आधार कर दायित्व का निर्धारण कर शेष पर कर भुगतान कर निर्धारण वर्ष में 30 सितम्बर तक विवरणी जमा कर देना चाहिए । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष की चारों तिमाहियों[36] में अग्रिम कर किश्त भुगतान करना बाध्यकारी है । अधिनियम की धारा 234 क के अनुसार आय विवरणी भरने में चूक पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होता है । धारा 234 ख के अनुसार निर्धारित कर से कम जमा करने पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शेष राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है । धारा 234 ग के अनुसार यदि जमा अग्रिम कर में कमी की राशि कुल निर्धारित कर के 10 प्रतिशत से ज्यादा है तो अग्रिम कर की बकाया राशि पर देय तिथियों को साधारण ब्याज देय है ।

हमने लेखापरीक्षा में पाया (अप्रैल 2011) कि एस.ई.जेड. इन्दौर लिमिटेड ने कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवम् 2008-09 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने में आज दिनांक तक (जून 2011) असफल रहा । आगे, अग्रिम आयकर के भुगतान में स्थगन के अलावा भुगतान भी कम राशि का किया गया । उपरोक्त अनियमितताओं के कारण धारा 234क (₹ 41.74 लाख) के अधीन विवरणी ना जमा किए जाने के कारण ब्याज, धारा 234ख (₹ 50.50 लाख) के अधीन कम अग्रिम आयकर भुगतान के कारण एवम् धारा 234ग (₹ 7.01 लाख) के अधीन अग्रिम आयकर भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज एस.ई.जेड. को ₹ 99.25 लाख ब्याज भुगतान करना पड़ा । कम्पनी ने इस निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज सहित आयकर का भुगतान 20 फरवरी 2010 तथा 27 मई 2011 को किया । परिणामस्वरूप, ₹ 99.25 लाख का ब्याज भुगतान करना पड़ा । जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय पर त्रैमासिक अग्रिम कर का भुगतान एवं आयकर विवरणी को नियत दिनांकों पर भर कर बचाया जा सकता था ।

---

[36] 15 जून, 15 सितम्बर, 15 अक्टूबर और 15 मार्च को या पहले

कम्पनी ने उत्तर दिया (जून 2011) कि पिछले कुछ वर्षों के लेखों का एक साथ अंतिमिकरण किया जा रहा है एवं सम्बन्धित वर्षों का लाभ आंकलन करने में परेशानी होने के कारण लेखों के अंतिमिकरण उपरान्त कर दायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा । प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित वर्षों में लाभ का आंकलन करना, देय तिथियों पर कर निर्धारण एवं भुगतान करना प्राथमिक दायित्व और इन दायित्वों का निर्वहन लेखे पूर्ण ना होने की दशा में भी किया जाना चाहिए । यदि कम्पनी ने इन वर्षों में देय तिथियों पर अग्रिम कर भुगतान किया होता तथा कर विवरणी को समय पर दाखिल किया होता तो ₹ 99.25 लाख के ब्याज भुगतान से बचा जा सकता था ।

उसी प्रकार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में यह पाया गया (नवम्बर 2010) कि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए कर दायित्वों का कम अनुमान करने के कारण, कम्पनी ने इन वर्षों के लिए 15 जून एवम् 15 सितम्बर को देय तिमाही अग्रिम कर जमा नहीं किया । परिणामस्वरूप कम्पनी को धारा 234ख के अधीन ₹ 37.85 लाख का ब्याज का भुगतान करना पड़ा यदि कम्पनी ने सही अनुमान लगाकर तदानुसार देय तिथियों को अग्रिम कर भुगतान किया होता तो ब्याज का भुगतान बचाया जा सकता था ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2011) कि दक्ष कर्मचारियों के अभाव में लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब हुआ अतः आयकर दायित्व का सही अनुमान पहले से ही नहीं हो पाया । यह भी कहा गया कि सिविल कार्यों की समाप्ति वित्तीय वर्ष के बाद में कभी भी हो सकती है अतः वित्तीय वर्ष के दरम्यान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर लाभ की गणना कर पाना संभव नहीं था । कम्पनी ने यह मत जाहिर किया कि उपलब्ध राशि को सावधिक जमा में रखे जाने से ब्याज प्राप्त हुआ और सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज से आयकर में विलम्ब के कारण देय ब्याज का भुगतान किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर का निर्धारण प्रबंधन का प्राथमिक दायित्व है एवं परियोजनाओं का कई वित्तीय वर्षों में फैलाव व्यवसायिक इकाई का सामान्य लक्षण है । इस तरह के प्रकरणों में भी कार्य के पूर्ण हुए स्तरों के आधार पर कर दायित्व का अनुमानित निर्धारण किया जा सकता है । कम्पनी का मत कि विलम्ब से कर दायित्व के भुगतान के कारण सावधिक जमा पर ब्याज कमाया, उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि चालू खातों में उपलब्ध राशि कर दायित्व से कहीं ज्यादा थी और चालू खातों में उपलब्ध राशि को सम्बन्धित तिमाहियों में ब्याज भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता था । अतः कर दायित्व का त्रुटिपूर्ण निर्धारण एवं तिमाही अग्रिम कर भुगतान में चूक के कारण ₹ 37.85 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

तिमाही अग्रिम आयकर किश्तों के भुगतान में विलम्ब एवम् आयकर विवरणी को विलम्ब से जमा करने के कारण ब्याज भुगतान से बचने के लिए, कम्पनी को अग्रिम कर का भुगतान समय पर करना चाहिए एवम् समय पर विवरणी दाखिल करना चाहिए ।

प्रकरण के सम्बन्ध में सरकार को सूचित (26 अप्रैल 2011) किया गया एवम् उत्तर प्रतीक्षित है ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.5 बकाया योग्य राशि की वसूली ना करना

वैध समय-सीमा अवधि में बीमा कम्पनी को सामग्री में कमी की राशि की वसूली हेतु क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत ना किया जाने के कारण ₹ 92.35 लाख का नुकसान ।

(अ) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी[37]) ने 132 के व्ही. बाणसागर विद्युतगृह-IV अमरपाटन डबल सर्किट सिंगल स्ट्रिंगिंग (डी.सी.एस.एस.) लाइन डालने हेतु, जिसे 19 अगस्त, 2006 तक ₹ 1.48 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जाना था, मेसर्स तेजिन्दर सिंह, जबलपुर को ऑर्डर (अक्टूबर, 2005) दिया । अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार ने 28 अक्टूबर, 2009 तक की अवधि के लिए ठेकेदार एवं कम्पनी के संयुक्त नाम पर सामग्री सम्बन्धी जोखिम को कवर करने के लिए बीमा कराया । कम्पनी ने विभिन्न श्रेणी की सामग्री ठेकेदार को जारी (दिसम्बर 2005 से मार्च 2009) कर दी।

कार्य की गति बेहद धीमी थी एवं कई नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त भी ठेकेदार ने 19 अगस्त 2006 तक टावर लगाने का काम (236 में से 53) एवं स्ट्रिंगिंग (निरंक) पूर्ण किया । हालांकि कम्पनी ने फरवरी 2008 तक समय-विस्तार दिया गया एवं ठेकेदार द्वारा कार्य को मार्च 2009 तक पूर्ण करने का तदोपरान्त आश्वासन दिया गया फिर भी ठेकेदार कार्यपूर्ण करने में असफल रहा । शेष कार्य जिसकी लागत राशि ₹ 16.37 लाख थी ठेकेदार से वापिस ले लिया गया (अप्रैल 2009) एवं कम्पनी द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर कार्य नवम्बर 2009 में पूर्ण कराया गया ।

कम्पनी ने ठेकेदार से (अप्रैल 2010) ₹ 42.06 लाख का दावा किया । ₹ 42.06 लाख के विवरण से स्पष्ट होता है कि इसमें ठेकेदार से कार्य अधिग्रहित करते समय ₹ 31.48 लाख (नवम्बर 2009)की सामग्री में कमी पाई गई एवं बकाया राशि शेष कार्य को पूर्ण करने में अतिरिक्त व्यय से संबंधित था । कम्पनी, सामग्री में पाई गई कमी के संबंध में वैध अवधि, 28 अक्टूबर 2009, तक बीमा कम्पनी पर दावा ठोकने में असफल रही । कम्पनी ने प्रतिभूति जमा राशि ₹ 5.00 लाख को देय राशि से समायोजित (अगस्त 2010) किया । यद्यपि कम्पनी ने ठेकेदार के विरूद्ध सिविल मुकदमा दायर करने का निर्णय (12 जून 2009) लिया परन्तु ऐसा करने में असफल रही । ठेकेदार द्वारा ₹ 37.06 लाख की राशि समायोजित किया जाना शेष था, कम्पनी ने जून 2010 में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की जो कि जून 2011 तक प्रक्रियाधीन थी । अप्रैल 2009 में ठेकेदार द्वारा ठेके के अनुबंध से हटने की स्थिति में कम्पनी द्वारा कार्यस्थल पर शेष सामग्री को स्वयं के अधिपत्य में ना लिए जाने के कारण एवं संयुक्त बीमा की अवधि समाप्ति दिनांक 28 अक्टूबर 2009 से पहले क्षतिपूर्ति दावा ना करने के कारण कम्पनी को ₹ 31.48 लाख की हानि हुई ।

कम्पनी के साथ इस मुद्दे को उठाने पर कम्पनी ने उत्तर दिया (जून 2011) कि ठेकेदार ने शेष सामग्री को वापिस नहीं किया था एवं अगस्त 2009 में कम्पनी ने सामग्री अपने अधिपत्य में ले ली थी तथा समायोजन के समय तक बीमा पॉलिसी 28 अक्टूबर 2009 को

[37] पूर्व में यह काम मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा किया जा रहा था ।

ही समाप्त हो गई थी । कम्पनी ने यह भी बताया कि ठेकेदार के विरूद्ध मध्यस्था प्रक्रिया आदेश (14 जून 2010) हो चुके हैं जो कि प्रक्रियाधीन हैं ।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अगस्त 2009 में सामग्री को अधिपत्य में लिया था एवं उसके पास क्षतिपूर्ति दावे को प्रस्तुत करने के लिए बीमा पॉलिसी की समाप्ति दिनांक 28 अक्टूबर 2009 तक का पर्याप्त समय था । इसमें असफलता के कारण ₹ 31.40 लाख का नुकसान हुआ ।

(ब) उसी तरह, कम्पनी ने 220 के.व्ही. बीरसिंहपुर-रीवा पारेषण लाइन को डालने के लिए, ₹ 2.97 करोड़ के पुनरीक्षित मूल्य (वास्तविक ठेका मूल्य ₹ 1.97 करोड़) पर मेसर्स आदित्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, हैदराबाद को आर्डर (दिसम्बर 2005) दिया जिसके पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि नवम्बर 2006 थी । ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार ने बोर्ड एवं स्वयं के संयुक्त नाम पर बीमा पॉलिसी ली जिसे बोर्ड के पास कार्य समाप्त होने की अवधि तक के लिए बंधक रख दिया । कई नोटिसों के बाद भी ठेकेदार कार्य को पूर्ण करने में असफल रहा एवं अततः कार्यस्थल को, बिना किसी सूचना के छोड़ (अप्रैल 2008) दिया । कम्पनी ने शेष कार्य को ठेकेदार की जोखिम पर ₹ 20.27 लाख के अतिरिक्त व्यय पर पूरा (अक्टूबर 2008) कराया । कम्पनी के पास उपलब्ध ठेकेदार की सुरक्षा जमा निधि (₹ 9.53 लाख) एवं लम्बित बिलों (₹ 6.58 लाख) के समायोजन करने के बाद, कम्पनी ने ठेकेदार पर कार्य समाप्ति अवधि के एक साल से भी अधिक समय के बाद ₹ 55.29 लाख का दावा (सितम्बर 2009) किया । यह राशि अभी भी अप्राप्त है (नवम्बर 2011) ।

हमने पाया (दिसम्बर 2011) कि ₹ 55.29 लाख में से, ₹ 46.63 लाख ठेकेदार द्वारा सामग्री में की गई कमी से संबंधित थे । कम्पनी ना केवल बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण में असफल रही जोकि अक्टूबर 2007 में समाप्त हो गई थी बल्कि अप्रैल 2008 तक समय-समय पर सामग्री भी जारी करती रही । कम्पनी ने ठेकेदार की ₹ 9.53 लाख की सुरक्षा निधि बनाए रखी जो कि शेष देयक वसूली हेतु अपर्याप्त थी । कम्पनी ने ना ही कभी सुरक्षा निधि की समीक्षा की ताकि इसे बढ़ाकर सामग्री की कीमत पर्याप्त रूप से वसूली जा सके ना ही इस बात को सुनिश्चित किया कि पर्याप्त राशि का बीमा कवर उपलब्ध है ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि कई बार निवेदन के बाद भी ठेकेदार ने बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं कराया । कम्पनी ने आगे बताया कि मध्यस्तता प्रक्रिया चल रही है (जून 2011) ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी, ठेकेदार को जारी की जा रही सामग्री को एक निश्चित समय अन्तराल पर समाशोधन करने में असफल रही जिससे यह सुनिश्चित हो पाता कि ठेकेदार के पास उपलब्ध सामग्री बीमा पॉलिसी और सुरक्षा निधि में कवर है । इसमें असफलता के कारण ₹ 55.29 लाख की हानि हुई ।

प्रकरण से सरकार को मार्च 2011 में अवगत कराया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

3.6 अपर्याप्त साख-पत्र

लेंको पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड से अपर्याप्त साख-पत्र लेने के कारण ₹ 78.63 करोड़ की बकाया राशि का संचय ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), मध्यप्रदेश राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से विद्युत व्यापार करने के लिए उत्तरदायी है । कम्पनी लेंको पावर ट्रेडिंग लिमिटेड, गुड़गांव (क्रेता) को मासिक आधार पर एक निश्चित अनुबंधित मात्रा के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर विद्युत विक्रय के लिए सहमत हुई । पक्षों के बीच हुए अनुबंध के अनुसार, क्रेता पक्ष को कम्पनी के पक्ष में 30 दिन की विद्युत बिलिंग के बराबर साप्ताहिक रिवोल्विंग साख-पत्र जो कि उसके सभी बकाया राशि जैसे विद्युत प्रभार, क्षतिपूर्ति देय राशि, दण्ड राशि, ओपन एक्सेस प्रभार एवं सरचार्ज से सम्बन्धित प्रत्येक अदत्त देय राशि के लिए उपलब्ध कराना था । यदि क्रेता क्षेत्रीय लोड डिसपेच केन्द्र द्वारा मासिक आधार पर अनुमोदित विद्युत मात्रा का 80 प्रतिशत क्रय करने में असफल होता है तो वह कम क्रय की गई मात्रा के लिए बीजक प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर ₹ 2 प्रति किलो वाट घण्टा की दर से क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा । आगे, क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने में देरी पर, विलंब अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज का भुगतान करना होगा ।

हमारी लेखापरीक्षा (मई 2011) में पाया गया कि क्रेता जुलाई 2010 से मार्च 2011 की अवधि में, अनुबन्ध में निर्दिष्ट मात्रा अनुसार विद्युत क्रय करने में असफल रहा । तद्नुसार, सम्बन्धित अवधि के लिए कम्पनी ने मासिक आधार पर कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹ 83.63 करोड़ की मांग की । चूँकि क्रेता ने क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया, कम्पनी ने 2010-11 के लिए ₹ 2.92 करोड़ सरचार्ज भी प्रभारित किया (अप्रैल 2011) और देय राशि को 15 दिवस के भीतर अदा करने का निवेदन किया अन्यथा अदत्त राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

हमने पाया (मई 2011) कि यद्यपि क्रेता ने ₹ 65.51 करोड़ के बकाया राशि (मई 2010 के 30 दिनों का विद्युत बिल) के विरूद्ध सिर्फ ₹ 5 करोड़ का साख-पत्र उपलब्ध कराया था, कम्पनी ने पर्याप्त राशि के साख-पत्र के बिना अपने वित्तीय हितों को अनदेखा करते हुए विद्युत सप्लाई जारी रखी । अगर कम्पनी ने निर्दिष्ट राशि ₹ 65.51 करोड़ के साख-पत्र प्राप्त करने के लिए समय पर ठोस कदम उठाए होते, तो कुल अदत्त राशि ₹ 83.63 करोड़ का कम से कम 78 प्रतिशत उसके नकदीकरण के द्वारा वसूला जा सकता था । हमने यह पाया कि दावा की गई राशि के निपटारे में चूक के बावजूद, क्रेता के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई एवम् विद्युत सप्लाई जारी रखी गई (जून 2011) । मई 2011 में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने के उपरान्त कम्पनी ने ₹ 5 करोड़ के साख-पत्र का नकदीकरण कराया एवं मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका भी दायर की । (मई 2011)

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2011) एवं बताया कि क्रेता को बार-बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद उसके द्वारा पर्याप्त साख-पत्र प्रदान नहीं किये गये यद्यपि तथ्य यह है कि कम्पनी अपने वित्तीय हितों के संरक्षण में असफल रही जिसमें ₹ 78.63 करोड़

की देय राशि संचय हो गई । कम्पनी को वित्तीय हितों के संरक्षण के लिए विद्युत विक्रय करने से पूर्व अनुबंध की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेना चाहिए ।

प्रकरण से सरकार को (जुलाई 2011) अवगत कराया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

3.7 परिहार्य व्यय

विपणन एजेन्सी के खराब प्रदर्शन के बावजूद, कम्पनी के द्वारा पारिश्रमिक भुगतान को आनुपातिक आधार पर घटाने का उपबन्ध शामिल ना करने के कारण ₹ 25.26 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन (मई 1978) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवास प्रदान करना, पर्यटक केन्दों को विकसित करना और परिवहन सेवा को प्रदान करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकें । तद्नुसार, कम्पनी राज्य में विभिन्न स्थानों पर अपने होटल संचालित कर रही है । कम्पनी ने भोपाल में संचालित होटल पलाश रेसीडेंसी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष के साथ बातचीत करने के उपरान्त प्रारंभिक तौर पर छह माह के लिए ₹ 85,000/- मासिक भुगतान पर मैसर्स सोल्यूसन्स (फर्म) को विपणन एजेन्सी के रूप में नियुक्त (नवम्बर 2007) किया गया जिसकी समयावधि को समय-समय पर बढ़ाया गया । समझौते के अनुसार, फर्म ने होटल पलाश रेसीडेंसी में प्रतिमाह ₹ 15 लाख का व्यवसाय देने का भरोसा जताया था । निम्न तालिका में फर्म द्वारा मार्च 2011 तक की अवधि के लिए व्यवसाय लक्ष्य एवम् लक्ष्य प्राप्ति दर्शाई गई है ।

वर्ष	लक्ष्य (लाख ₹ में)	व्यापार में वास्तविक योगदान (लाख ₹ में)	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	लक्ष्य प्राप्ति में कमी		पारिश्रमिक भुगतान (लाख ₹ में)
				मूल्य (लाख ₹ में)	प्रतिशत में	
2007-08	75	10.20	13.60	64.80	86.40	4.25
2008-09	180	33.57	18.65	146.43	81.35	10.20
2009-10	180	39.05	21.69	140.95	78.31	10.20
2010-11	72	50.19	69.71	21.81	30.29	10.20
योग	**507**	**133.01**	**26.23**	**373.99**	**73.77**	**34.25**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 5.07 करोड़ के लक्षित व्यवसाय में से फर्म ने केवल ₹ 1.33 करोड़ (26.23 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति) का व्यवसाय लाने में सफल हुआ एवम् कम्पनी ने 100 प्रतिशत पारिश्रमिक का भुगतान किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2011) कि कम्पनी द्वारा अनुबंध में कोई भी पेनाल्टी उपबन्ध ना रखने के कारण विपणन फर्म द्वारा लक्षित व्यवसाय प्राप्त करने में असफलता पर भी आनुपातिक आधार पर कटौती ना की जा सकी और कम्पनी को फर्म के वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर आनुपातिक पारिश्रमिक ₹ 8.99 लाख की जगह ₹ 25.26 लाख का भुगतान करना पड़ा । आगे यह पाया गया कि फरवरी-जून 2008 के मध्य फर्म के निराशापूर्ण प्रदर्शन सिर्फ ₹ 11.51 लाख के असंतोषप्रद व्यवसाय के बाद भी, कम्पनी ने फर्म की कार्यविधि जुलाई 2008 से मार्च 2011 तक अनुबंध शर्तों में बिना किसी बदलाव के बढ़ा दी । यदि कम्पनी ने फर्म के पारिश्रमिक भुगतान हेतु नवीकृत विपणन एजेन्सी अनुबंध जो जुलाई 2008 से मार्च 2011 तक के लिए था आनुपातिक आधार पर भुगतान करने की शर्त डाली होती तो जुलाई 2008 से मार्च 2011 के मध्य ₹ 25.26 लाख रूपये का खर्चे को बचाया जा सकता था ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (मई/जून 2011) कि होटल में अत्यधिक व्यस्तता के कारण कम्पनी को विपणन को बढ़ावे के लिए लगभग ना के बराबर समय मिल पा रहा था और कर्मचारी पूरी तरह से होटल के सामान्य कामकाजों में लगे हुए थे, अतः विपणन फर्म को समय विस्तार देने की आवश्यकता थी । हमने पाया है कि होटल का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा था ₹ 5.20 करोड़ (2008-09) से ₹ 7.65 करोड़ (2009-10) और ₹ 6.57 करोड़ (2010-11) जबकि मैसर्स सोल्यूशन के द्वारा इन वर्षों में प्रदाय व्यवसाय का व्यवसाय का कुल आय से प्रतिशत मात्र 6.54, 5.10 और 5.06 था । इस प्रकार, आनुपातिक आधार पर भुगतान करने का उपबन्ध अनुबंध में शामिल ना करने के कारण फर्म को ₹ 25.26 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (4 मई 2011) ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड

3.8 निधि का अवरूद्ध होना

कम्पनी द्वारा बी.आर.टी.एस. कोरीडोर को प्रारंभ ना करने के कारण ₹ 46.90 लाख मूल्य की यात्री सूचना प्रणाली (पी.आई.एस.) इकाईयां फरवरी 2009 से व्यर्थ पड़ी है ।

भोपाल शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड का गठन किया गया । एक कुशल तरीके से और एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से नगर बसों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए कम्पनी ने मैसर्स ओमनीटेक वायरलेस (फर्म) को ₹ 59.58 लाख का क्रय आदेश दिया जिसमें 48 वाहन ट्रेकिंग प्रणाली (बस इकाइयों) पर आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, 100 बस स्टॉप यात्री सूचना प्रणाली का आदेश दिया तथा बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) के तहत बस इकाईयों के संचालन पर एकीकृत निगरानी रखने एवं यात्री सूचना प्रणाली के उपयोग के लिए केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करना था । यद्यपि अनुबंध 4 जनवरी 2007 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था परन्तु 100 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयां एवम् 39 बस यूनिट्स फरवरी और मार्च 2007 के मध्य प्राप्त की गई एवम् निगरानी

प्रणाली प्रतिवेदन 1 फरवरी 2008 को बनाई गई । कम्पनी ने फरवरी 2007 से फरवरी 2009 के बीच 100 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयों के लिए ₹ 46.90 लाख एवं 39 बस इकाईयों के लिये ₹ 7.40 लाख का भुगतान किया जिसके व्यय को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन प्रोजेक्ट (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) से पूरा किया गया ।

हमने लेखापरीक्षा में पाया (अप्रैल 2010) कि कम्पनी ने जब सभी 39 बस इकाईयाँ स्थापित की (मार्च 2007) थी तब वो सिर्फ 23 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयाँ स्थापित की थी (मार्च 2007) । हमने यह भी पाया कि ये 23 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयाँ जनवरी 2008 से काम नहीं कर रही थी एवं शेष 77 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयाँ कभी भी स्थापित ही नहीं की गई । इस प्रकार, सभी 100 यात्री सूचना प्रणाली इकाईयों के बेकार होने से फरवरी 2009 से ₹ 46.90 लाख की राशि अवरूद्ध हुई । यह भी पाया गया कि कम्पनी को यह जानकारी थी कि सितम्बर 2011 में बी.आर.टी.एम. योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के पश्चात् ही इन यात्री सूचना प्रणाली इकाईयों का यात्री सूचना के लिए उपयोग किया जा सकता है फिर भी इनका चार वर्ष पूर्व उपार्जन किए जाने से निधि अवरूद्ध हुई ।

कम्पनी ने बताया (29 अप्रैल 2010) कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना की बी.आर.टी.एस. परियोजना के अधीन बस संचालन के लिए यात्री सूचना प्रणाली इकाईयों का उपार्जन किया गया था एवं इन इकाईयों का उपयोग बी.आर.टी.एस. के क्रियान्वयन पश्चात् की जावेगी। कम्पनी ने प्रत्याशा (19 मई 2011) जताई कि बी.आर.टी.एस. परियोजना 9 सितम्बर, 2011 को पूर्ण हो जावेगी। इस प्रकार कम्पनी ने यात्री सूचना प्रणाली इकाईयाँ का बी.आर.टी.एस. के क्रियान्वयन से चार वर्ष पूर्व उपार्जन किया जाना स्वीकार किया । कम्पनी द्वारा यात्री सूचना प्रणाली इकाईयों के क्रय में बी.आर.टी.एस. परियोजना के क्रियान्वयन से तालमेल ना बैठाने के कारण फरवरी 2009 से ₹ 46.90 लाख की राशि अवरूद्ध हुई ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (8 अप्रैल 2011) ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

सावंधिक निगम

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम

3.9 अन्तर्राज्यीय बसों को बन्द करने के कारण राजस्व हानि

लाभ में होने पर भी, ठेके की बसों द्वारा संचालित अन्तर राज्यीय बस सुविधा को बन्द करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि ₹ 2.08 करोड़ ।

राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर बस सुविधा संचालन हेतु मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (निगम) का निर्गमन किया गया था । लगातार हानि में चलते निगम ने स्व-संचालित बसों का संचालन 2005 में ही बन्द कर दिया था एवं निगम के नाम पर निजी बसों के

संचालन को स्वीकृति (13 जून 2005) दे दी थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत, निजी संचालकों के वाहन राज्य सरकार की परिवहन अधिकरण के पास निगम के नाम पर पंजीकृत थे एवं उन्हें बस संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई थी । संचालन के सभी व्ययों का भार वहन करने के अलावा संचालकों को ₹ 3 प्रति रूट किलोमीटर के हिसाब से निगम को भुगतान करना था । वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (अगस्त, 2010 तक) में संचालित बसों की संख्या क्रमशः 681, 195, एवं 174 थी जिससे प्राप्त आय क्रमशः ₹ 15.04 करोड़, ₹ 7.11 करोड़ एवं ₹ 2.74 करोड़ थी । निगम ने नवम्बर, 2008 में ठेकेदार द्वारा संचालित बसों की सेवा को राज्य के अन्दर बंद कर दिया एवं दिसम्बर, 2008 से केवल अन्तर राज्यीय बस का संचालन जारी रखा ।

भारत सरकार ने फरवरी 2005 में उठाये गए निगम को बंद करने के प्रस्ताव को खारिज (12 नवम्बर, 2009) कर दिया एवं राज्य सरकार को निगम के पुर्नरूथान एवं पुर्नसंरचना के लिए उचित पैकेज लागू करने की सलाह दी । उत्तर में, राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए प्रयास किए (12 जनवरी, 2010) लेकिन अन्तर-राज्यीय बस संचालन की लाभ-प्रदायक्ता पर विचार नहीं किया । अगस्त 2010 में अन्तर-राज्यीय बसों के संचालन से निगम को प्राप्त राजस्व राशि ₹ 50.30 लाख प्रतिमाह एवं खर्चे राशि ₹ 32.13 लाख प्रतिमाह थे । निगम ने इन पहलुओं पर ध्यान ना देते हुए अन्तर-राज्यीय बसों को बंद करने का निर्णय (1 सितम्बर 2010) लिया । निजी संचालकों के साथ हुए विद्यमान अनुबंध को वैध दिनांक के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया, तद्नुसार, सभी अनुबंध 1 अक्टूबर 2010 से समाप्त हो गए ।

अक्टूबर 2010 में वेतन, मजदूरी एवं अन्य खर्चों की राशि ₹ 14.03 लाख के मासिक व्यय को निर्वहन के लिए अन्तर-राज्यीय बस संचालन से ₹ 50.30 लाख की मासिक आय प्राप्त होने एवं अस्तित्व में रहने की संभावना के बावजूद निगम ने 1 अक्टूबर, 2010 से अन्तर-राज्यीय बस संचालन को बंद किया जिससे 1 अक्टूबर से मार्च 2011 की अवधि में ₹ 2.08 करोड़ राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण सरकार को सूचित (मई 2011) किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है ।

सामान्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

3.10.1भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के विभिन्न विभागों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ आरम्भ होकर संवीक्षा की प्रकिया की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यपालन अधिकारियो से उचित एवं समय पर उत्तर प्राप्त करें ।

मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक विभागो को जारी अनुदेश (नबम्बवर 1994) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा समीक्षाओं पर सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाते हुये विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के तीन महीने की भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की कोई सूचना या बुलाने की प्रतीक्षा किये बिना व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें ।

यद्यपि 2009-10 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा मे 28 मार्च 2011 को प्रस्तुत कर दिया गया था तथापि छः विभाग जिन पर टिप्पणियॉ की गई थी, ने 30 सितम्बर 2011 तक 12 कण्डिकाओं/समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी । विभागवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-20*** मे दिया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की अनुशंसाएं जो कि उनके प्रतिवेदनों में सनिहित हैं, के उत्तर कार्यवाही टिप्पणियों के रूप में कोपू द्वारा विधान सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत करने होते हैं । कोपू की अनुशंसाओं के आधार पर 2010-11 के दौरान तीन कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनो, प्रारूप कण्डिकाओं तथा समीक्षाओं के उत्तर

3.10.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्य स्थल पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संसूचित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते हैं । सार्वजिनिक क्षेत्र के 37 उपक्रमों से सम्बन्धित मार्च 2011 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 482 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 1566 कण्डिकाए सितम्बर 2011 के अन्त तक बकाया थी जिनके उत्तर एक से छहः वर्षो तक नहीं दिये गये थे । 30 सितम्बर 2011 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण ***परिशिष्ट-21*** में दिया गया है ।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाएं एवं समीक्षाए अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव / सचिव को चार सप्ताह की अवधि के भीतर तत्थों तथा आकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियों आमंत्रित करते हुये अग्रेषित की जाती है । तथापि यह देखा गया है कि अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रेषित दो समीक्षाओं तथा नौ प्रारूप कण्डिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट-22*** में दिये विवरणों के अनुसार प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2011)।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/समीक्षाओं उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया विद्यमान है

(ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिकभुगतानो की वसूली करने के लिये समयबद्ध अनुसूची के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति को सशक्त बनाया गया है।

ग्वालियर **(के.के.श्रीवास्तव)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार**
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**